<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

	दांडिक प्रकरण क.—528/09
	संस्थित दिनांक–18.11.09
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरूद्ध	
भारा पुत्र मोहर सिंह बंजारा उम्र 30 साल निवासी ग्राम— नानौन चक तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 323, 190 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप हैं कि उसने दिनांक—22.09.09 को ग्राम मडखेडा के पास रात्रि 08.00 बजे लोक स्थान पर फरियादी नारायण सिंह को मां —बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व नारायण सिंह के साथ मारपीट कर उसे स्वच्छैया उपहित कारित की एवं नारायण सिंह को लोकसेवक संरक्षा से विरत रहने के लिये आवेदन देने में जान से मारने की धमकी दी।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—22.09.2009 को फरियादी नारायण सिंह अपने घर का सामान लेने मडखेडा चक से पिपरई गया था। रात्रि करीबन 08.00 बजे वह पिपरई से लौट कर अपने गांव मडखेडा चक के बाहर सडक पर पुलिया पर आकर बैठा तो उसी समय वहां ग्राम नानौन चक का भारा पुत्र मोहर सिंह उसे मिला और उधार रूपये मांगे, जब फरियादी ने कहा की उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अभियुक्त उसे मां—बहन की गालियां देने लगा जिस पर फरियादी ने कहा कि तू शराब पीये हुये है, गालियां मत दे तो अभियुक्त ने फरियादी को पकडकर रोक लिया और सिर में एक लाठी मारी तथा एक लाठी का ठुंसा बाई आंख के पास मारा एवं एक लाठी दाहिने कंधे पर मारी जिससे मूंदी चोट आई। मौके पर जमाखेडी के अशोक यादव व हरिया बंजारा ने बीच बचाव किया। अभियुक्त जाते समय बोलते गया कि रिपोर्ट को गया तो जान से मारकर

फेंक दूंगा। घटना रात्रि की होने से फरियादी नारायण सिंह ने घटना के दूसरे दिन दिनांक—23.09.09 को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—296/09 अंतर्गत धारा—341, 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—08.02.17 को फरियादी के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा—294, 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—190 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या दिनांक—22.09.09 को ग्राम मडखेडा में रात्रि 08.00 बजे अभियुक्त ने फरियादी नारायण सिंह को लोक सेवक की संरक्षा से विरत रहने के लिये आवेदन देने में जान से मारने की धमकी दी ?
 - 2. | दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 06— फरियादी नारायण अ0सा0—1 के अनुसार अभियुक्त ने उससे पैसों की मांग की थी और जब दारू पीने के लिये पैसे नही दिये तो फरियादी के साथ मारपीट की था जिससे उसकी आंख में चोट आई थी। इस साक्षी के अनुसार जब वह मारपीट कर रहा था, तो मौके पर हरिराम, तोडाबाई, एवं अशोक भी आ गये थे। जिसके बाद उसने पुलिस थाना चंदेरी में जाकर प्र0पी0—1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। फरियादी नारायण सिह अ0सा0—1 का अपने मुख्य परीक्षण में कही यह कहना नही है कि रिपोर्ट करने जाने से अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी तथा उक्त धमकी के कारण उसके द्वारा देरी से रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई।
- 07— यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी0—1 की रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक—22.09.09 के रात्रि 08.00 बजे की है, जबकि रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन दिनांक—23.09.09 को 12.20 बजे लेखबद्ध कराई गई तथा रिपोर्ट देरी से लेखबद्ध कराने का कारण रात होना व आने का साधन न होना लेख है। प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्र0पी0—1 में रिपोर्ट देरी से लेख कराने का ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं है, जो घटना के बाद अभियुक्त द्वारा फरियादी को दी गई धमकी का उल्लेख करता हो। अभियोजन का उपरोक्त बिंदु पर समर्थन करने से अभियोजन के द्वारा फरियादी को पक्ष विरोधी कर यह स्पष्ट प्रश्न किया गया कि अभियुक्त ने वास्तव में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी तो उत्तर में फरियादी ने मात्र यह कहा कि अभियुक्त अंट—संट गालियां दे रहा था। फरियादी का कही यह कहना नहीं है, कि अभियुक्त ने रिपोर्ट करने जाने से रोकने के लिये उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

- 08— घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अशोक अ0सा0—3 अपने न्यायायलीन कथनों में फरियादी व अभियुक्त का विवाद पुलिया पर देखना तो बताता है, परंतु इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं दिये। गजेय सिंह अ0सा0—6 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं दिये इस साक्षी के अनुसार घटना के समय वह घटना स्थल पर उपस्थित ही नहीं था, वहीं फरियादी की पत्नि कलाबाई अ0सा0—8 जो कि अनुश्रुत साक्षी है, स्वयं भी घटना की जानकारी होने से इंकार करती है। इसी प्रकार हरिसिंह अ0सा0—7 के द्वारा भी अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्ष विरोधीकर विस्तृत परीक्षण किया गया, परंतु इस साक्षी ने अभियोजन घटना के विरुद्ध इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्त ने उसके सामने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी।
- 09— अतः फरियादी नारायण सिंह सिहत अभिलेख पर किसी भी साक्षी ने इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये कि फरियादी को घटना के बाद रिपोर्ट करने जाने से रोकने के लिये अभियुक्त ने फरियादी को जाने से मारने की धमकी दी थी या अभियुक्त के किसी डर के कारण रिपोर्ट करने में फरियादी द्वारा विलंब कारित किया गया। अतः साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि दिनांक—22.09.09 को ग्राम मडखेडा में रात्रि 08.00 बजे अभियुक्त ने फरियादी नारायण सिंह को लोक सेवक की संरक्षा से विरत रहने के लिये आवेदन देने में जान से मारने की धमकी दी।
- 10— फलस्वरूप अभियुक्त भारा के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा—190 के आरोप प्रमाणित नहीं होते। अभियुक्त भारा पुत्र मोहर सिंह के विरूद्ध आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा०द०वि० की धारा—190 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। धारा—428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (3)